न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—236/2021/225 (2021/236)

1. ऊंकार पुत्र किशन जाति कुमावत निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. धन्ना लाल पुत्र राजू जाति कुमावत
2. पप्पू पुत्र राजू जाति कुमावत
3. भंवर लाल पुत्र राजू जाति कुमावत
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन
5. श्रीमती राधा पत्नी नाथूलाल जाति कुमावत
6. अभिषेक पुत्र नाथूलाल जाति कुमावत
7. डालू राम पुत्र किशन उर्फ हरिकिशन जाति कुमावत
   समस्त निवासीगण ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन

रेस्पोडेन्टस

8. गणपत पुत्र किशन जाति कुमावत निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन।

प्रेफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 02.10.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 62/2021.

उपस्थितः—

1. श्री एन.के.जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 4.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 8 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 22.07.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 02.10.2021, प्रकरण संख्या 62/2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03/प्रार्थीगण के द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.06.2021 को दर्ज किया तदुपरान्त पेशी दिनांक 7.09.2021 को पत्रावली वास्ते अपीलार्थी/अप्रार्थीगण के जवाब हेतु नियत की गयी, इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को जवाब हेतु दिनांक 02.10.2021 की पेशी दी गयी उस रोज महात्मा गांधी जयन्ती का अवकाश था तारीख पेशी दी गयी, दिनांक 02.10.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार, पीसांगन से उसी रोज मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. पत्रावली में रिकार्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 05 से 08 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुएं

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के बाबत् मान्नीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समस्त तहसीलदारों को परिपत्र प्रेषित किये गये एवं परिपत्र के अनुसार यह आदेश दिये गये कि मौके के संदर्भ में न्यायालय के आदेश पर सम्बन्धित दोनो पक्षकारो को लिखित में सूचित किये जाने के उपरान्त ही मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. से ऊपर के अधिकारी द्वारा तैयार की जावेगी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका पर्चा व मौका रिपोर्ट से स्पष्ट प्रमाणित है कि मौका रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सूचना ही नही दी गयी। अपीलार्थी की गैर–मौजूदगी में मौका पर्चा तैयार किया गया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकित आदेशिकाओ से यह प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 गणपत व अप्रार्थी संख्या ऊंकार को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर ही नही दिया गया तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.07.2021, 24.08.2021 एवं 07.09.2021 की आदेशिका के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई मौका रिपोर्ट रास्ते के संदर्भ में तहसीलदार, पीसांगन, पटवारी हल्का से तलब ही नहीं की गयी के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट का उल्लेख अवश्य किया गया है जबकि मौका रिपोर्ट किसके आदेश से, किसके द्वारा, कब तलब की गयी के संदर्भ में पत्रावली की आदेशिका में ऐसा कोई उल्लेख ही नही है। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब व सबूत प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परन्तु अप्रार्थीगण/अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किये है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.10.2021 को राजस्व कैम्प जो कि प्रशससन गांवो के संग ही था, न्याय आपके द्वार कोई कैम्प राज्य सरकार द्वारा दिये ही नही गये। राजस्व कैम्प के समक्ष मात्र पक्षकारान के मध्य समझौते के आधार पर ही कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किये जाने का दायित्व अधीनस्थ न्यायालय को था, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि के प्रतिकूल एवं वैग होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2014(1)डब्ल्यू.एल.सी.(सुप्रीम कोर्ट) सिविल पेज 599, आर.आर.टी.2021 (1)पेज 441, 2018 डी.एन.जे. (सुप्रीम कोर्ट) पेज 1422 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा आवदेन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 676, 678, 679, 680, 681, 683 कुल किता 7 रकबा 6.96 है0 ग्राम गोविन्दगढ़ में अवस्थित है। उक्त आराजी में आने–जाने के लिए अवथित गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 711 के लगते हुए सिवावचक भूमि खसरा नम्बर 672 की पश्चिमी सींव से लगते हुए अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्ब्र 672/2908, 672/2909 के मध्य मेड़ से होते हुए कदीमी रास्ता अवस्थित है। जिसे अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया इसलिए 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया तथा अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए तहसीलदार, पीसांगन से मौका रिपोर्ट तलब कर आदेश पारित किया है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि से कोई रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने के कारण तथा रास्ता लघुत्तम होने के कारण विधि सम्मत आदेश पारित किये है। उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेन्टस द्वारा राशि जमा करा दी गई है तथा रास्ते बाबत् आदेश पारित किये जा चुके है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मान्नीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समस्त तहसीलदारों को परिपत्र प्रेषित किये गये एवं परिपत्र के अनुसार यह आदेश दिये गये कि मौके के संदर्भ में न्यायालय के आदेश पर सम्बन्धित दोनो पक्षकारो को लिखित में सूचित किये जाने के उपरान्त ही मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. से ऊपर के अधिकारी द्वारा तैयार की जावेगी। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली की आदेशिका में कहीं पर भी पर्चा मौका रिपार्ट तलब करने बाबत् अंकन नही है तथा पर्चा मौका रिपोर्ट जो आई.एल.आर. एवं पटवारी हल्का गोविन्दगढ़ द्वारा दिनांक 16.08.2021 को तैयार की गई पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.10.2022 का है उपरोक्त दिवस को राजकीय अवकाश घोषित रहता है। न्यायिक दृष्टांत 2014(1) डब्ल्यू.एल.सी.(सुप्रीम कोर्ट) सिविल पेज 599से सहमत है कि जिसमें कहा गया है कि पक्षकार का सुने जाने के सिद्धान्त के उल्लंघन में पारित निर्णय संवहनीय नही जिसे अपास्त किया गया है तथा प्रकरण को पक्षकार को सुनकर नये सिरे से निर्णय प्रतिप्रेषित किया गया है से हम सहमत है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 62/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.10.2021 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 62/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.10.2021 निरस्त किया जाता है तथा विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की सम्यक तामील की कार्यवाही कि जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावें तथा जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी स्वयं से मौका निरीक्षण कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता/लघुतम रास्ता /केवल सुविधाजनक रास्ता ना हों एवं विशेष कर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक़ साधन का अभाव के बिन्दुओ की विवेचना करतें हुए पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर